तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1398/2006/भरतपुर अमरिक सिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03-04-19	एकलपीठ श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य उपस्थितः– श्री ओ0पी0भट्ट, उप राजकीय अधिवक्ता। योग्य अधिवक्ता श्री मुकेश जैन को बार–बार आवाज दिलवाने के बावजूद वे उपस्थित नहीं हुए। –– आदेश यह निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–01–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि संबंधित पटवारी हलका ने तहसीलदार, पहाड़ी के समक्ष रिपोर्ट पेश की कि आराजी खसरा नं0 158 रकबा 4–86 ग्राम दाहना पर अमरीकसिंह पुत्र अरूडसिंह ने अतिक्रमण कर रखा है व गेहूँ की फसल बो रखी है। तसहीलदार ने उक्त प्रा0 पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी को धारा 91 का नोटिस जारी किया। बाद सुनवाई तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 09–03–99 द्वारा प्रार्थी को विवादित भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल किए जाने व शास्ति के दण्ड से दण्डित किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रथम अपील अतिरिक्त कलक्टर, डीग के न्यायालय में पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 31–03–99 द्वारा खारिज कर दिया तथा द्वितीय द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा दिनांक 16–01–2006 द्वारा खारिज की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय से अप्रसन्न होकर यह निगरानी मण्डल में पेश की गई है। हमने योग्य उप राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1398/2006/भरतपुर अमरिक सिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है, जिनमें निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावें। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। तहसीलदार पहाड़ी ने प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि जो कि राजकीय दर्ज है, पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित मानते हुए विवादित भूमि से बेदखल किए जाने व शास्ति के दण्ड से दण्डित किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय व द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने भी प्रार्थी को राजकीय भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय को उचित व विधिसम्मत् माना है। हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है, जिनमें निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः निगरानी को खारिज किया जाना हम उचित समझते है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (शिखर अग्रवाल) सदस्य	